### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

# LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 3353 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 18<sup>TH</sup> DECEMBER, 2015 27, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)

#### FIIs ON MAT

3353. SHRI ANANDRAO ADSUL:

SHRI DHARMENDRA YADAV:

SHRI VENKATESH BABU T.G.:

**SHRI SHRIRANG APPA BARNE:** 

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government has assessed the financial implications of the relief to Foreign Institutional Investors (FIIs) on the issue of levying Minimum Alternate Tax (MAT) as recommended by the Justice A.P. Shah Committee; and
- (b) if so, the details and the outcome thereof?

### **ANSWER**

# MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

(a)& (b) Having accepted the Justice A.P. Shah Committee's recommendations, the Government decided to bring an amendment in the Income-tax Act, 1961 to clarify that the Minimum Alternate Tax (MAT) will not be applicable to Foreign Institutional Investors (FIIs) not having a place of business/permanent establishment in India. Accordingly, field authorities of Income Tax Department were advised to keep in abeyance the pending assessment proceedings in cases of FIIs involving the issue.

In view of this, the financial implications of the decision are not quantifiable.

-----

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

# लोक सभा

### अतारांकित प्रश्न सं. 3353

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2015/27 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

### न्युनतम वैकल्पिक कर संबंधी विदेशी संस्थागत निवेशक

3353. श्री आनंदराव अडसुल:

- श्री धर्मेन्द यादव:
- श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:
- श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
- श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति ए.पी. शाह सिमिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने के मुद्दे पर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को राहत के वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं?

## उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): ए.पी. शाह सिमिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के पश्चात सरकार ने आयकर अधिनियम में, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया था तािक यह स्पष्ट किया जा सके कि न्यूनतम वैकल्पिक कर, ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू नहीं होगा जिनका भारत में कारोबार का स्थान/स्थाई स्थापन नहीं है। तदनुसार आयकर विभाग के फील्ड प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि वे उन मामलों की लंबित निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों को अस्थिगत रखें जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशक शािमल हों।

इसके मद्देनजर, इस निर्णय से होने वाले वित्तीय भार का आकलन नहीं किया जा सकता है।

-----